25/10/2021

पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर आया कि प्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा के प्रकरण को अन्य न्यायालय में स्थानांतरित करने हेतु निवेदन किया है, परन्तु प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अधीनस्थ न्यायालय के जिस पीठासीन अधिकारी एवं रीडर के विरूद्ध उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, उन पीठासीन अधिकारी एवं रीडर का वर्तमान में स्थानांतरण हो गया है जिससे वाद कारण ही समाप्त हो गया है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत् प्रकरण अन्य न्यायालय में सुनवाई हेतु स्थानांतरण करने का अस्वीकार किया जाता है। प्रकरण की सुनवायी नवीन पीठासीन अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा नियमानुसार सम्पादित करें। निर्णय की प्रति उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा को प्रेषित करें।

(शिवप्रसाद एम. नकाते)
जिला कलक्टर
भीलवाड़ा